

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
**O.A. No. 31/2024**

**IN THE MATTER OF:**

**BRIYESH YADAV**

**...APPLICANT**

**Versus**

**STATE OF MP & ORS**

**....RESPONDENTS**


**INDEX**

<b>SR.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>Annexure</b>	<b>PAGE</b>
1.	Factual report in compliance of Hon'ble NGT order dated 22/02/2024		1-5
2.	Photographs of the site visit dated 03.04.2024	Annexure- 1	6-9
3.	Spot Panchnama	Annexure- 2	10
4.	Complaints received by Forest Department in the matter	Annexure- 3	11-39
5.	Demarcation Panchnama and Letter	Annexure- 4	40-43
6.	Vakalatnama		44

Date: 13.06.2024

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal



through Counsel  
Adv. Parul Bhadoria  
Ph. No.: (+91)-8085977111;  
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

# Joint Committee Inspection Report of

## In the Matter of

Original Application No. 31/2024  
'Brijesh Yadav Vs State of Madhya Pradesh & Ors.'

w.r.to

Hon`ble National Green Tribunal Central Zone Bench,  
Bhopal  
dated 22.02.2024

Date of Visit: - 03<sup>rd</sup> April 2024

Location: – Village - Piparpani, Tehsil – Bankhedi,  
District – Narmadapuram (M.P)

# Inspection Report

Joint Inspection Report of site situated at Khasra No. 176, Village - Piparpani, Tehsil – Bankhedi, District – Narmadapuram (MP) in compliance of the direction issued by Hon’ble NGT in the Original Application No. 31/2024 (Brijesh Yadav Vs State of Madhya Pradesh & Ors)

Hon’ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 22.02.2024 in the OA no. 31/2024 (Brijesh Yadav V/s State of Madhya Pradesh & Ors), directed in para 1, 2, 3, 6 and 7 as under :

1. *Illegal excavation of mineral murrum (soil) by the respondent no. 09 over Khasra no. 176 admeasuring 36 Acres situated at Village - Piparpani, Tehsil – Bankhedi, District – Narmadapuram (MP), which is the land forming part of Forest Division of Narmadapuram and the said land was handed over to the Forest Department in lieu of compensatory afforestation done in past..*
2. *It is further alleged that the fully grown-up trees from the area are being damaged causing environmental loss and loss of the State Exchequer.*
3. *A substantial issue of environment has been raised.*
- 6 *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-*
  - i. *One representative from Collector, Narmadapuram, M.P.*
  - ii. *DFO, Narmadapuram, M.P.*
  - iii. *One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board .*
7. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance of the above direction, the site situated at Khasra No. 176, Village - Piparpani, Tehsil – Bankhedi, District – Narmadapuram (M.P.) visited by the Joint Committee comprised of the following officers:

1. Shri Mayank Gurjar, Divisional Forest Officer, Narmadapuram, (M.P.)
2. Shri Abhay Saraf, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Mandideep (M.P.)
3. Shri Divesh Markam, District Mining Office, Narmadapuram (M.P.)

During the field visit on 03.04.2024 along with the applicant Shri Brijesh Yadav, following were also present:

- 1- *Shri R.S.S Maravi, Nayab Tehsildar, Tehsildar Bankhed, Narmadapuram (M.P.)*
- 2- *Shri Aditya Lange, Assistant Engineer (C), Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Mandideep, District – Raisen (M.P.)*
- 3- *Shri Rajul Katare, Range officer, Bankhedi, Narmadapuram (M.P.)*
- 4- *Shri Krishankant Parste, Mining Inspector, Narmadapuram (M.P.)*
- 5- *Shri Sheikh Harun, Patwari, Halk No. 53, Village Piparpani, Bankhedi, Narmadapuram (M.P.)*

**The main issues raised in the petition by the Applicant are as under:-**

1. The illegal excavation has been done over Khasra No. 176 admeasuring 36 Acres to the tune of approx. 30,000 cubic meter situated at Village - Piparpani, Tehsil – Bankhedi, District – Narmadapuram (M.P.).
2. Full grown trees from the area have been removed and excavation has been done beneath the ground level.

All the Joint Committee members assembled at the site mentioned in the petition. During the joint committee visit, the geographical location, photographs and other relevant information related to the petition were collected and are incorporated in the report.

**Observations:**

1. GPS location of the Khasra No. 176, Village - Piparpani, Tehsil – Bankhedi, District – Narmadapuram (M.P.), has been recorded using a mobile-based GPS application. The google map of the site and photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure-01**. The geographical coordinates of Village Piparpani are 22.750379 N, 78.599008E and marked on google map.
2. During the field visit the members of the constituted committee thoroughly inspected the spot Khasra number 176, area 14.770 hectares of land of village Peeparpani. During the inspection, two pits were found on the spot in accordance with the natural topography and a drain (trench). The measurement of which was found to be 39mx01mx2.10m, whose excavation appears to have been done approximate 02 years ago. The excavated soil was dumped at nearby trench in small quantity. Spot panchnama dated 03.04.2023 was prepared which is enclosed as **Annexure-02**.


3. During the inspection the dug was found to be trench-like and it was not clear anywhere that 30,000 cubic meter quantity of soil (murum) has been excavated in the past.
4. As per the information provided by the Forest Department, under the Amrit Sarovar Yojana of the Government of M.P. construction of pond was proposed and excavation work for construction of pond was started by Gram Panchayat Piparpani and after coming to the notice of the matter, the Forest Range Officer Bankhedi sent the forest staff to the spot on 30.04.2022 and stopped the pond construction work & which is closed till date. The copy of administrative approval from the office of Janpad Panchayat Bankhedi for the construction of pond under the Amrit Sarovar Yojana of the Government of M.P. and details of correspondence regarding the complaint received by Forest department in this matter is enclosed as **Annexure-03**.
5. During the site visit cutting of trees has not been seen by the committee members.
6. As per the information provided by Forest Department, Khasra number 176, area 14.770 hectares of land of Village- Piparpani, Tehsil Bankhedi, District Narmadapuram was transferred to the Forest Department for compensatory afforestation under Revenue Department case number 89/B/121-191-92 dated 20.01.1992, but they said revenue land is not notified under Section 29 of the Indian Forest Act 1927 till date.
7. The demarcation of Khasra number 176, area 14.770 hectares of land of Village- Piparpani, Tehsil Bankhedi, District Narmadapuram has been done by the revenue department on 18<sup>th</sup> April 2024 in presence of personnels of forest department and request letter has been sent to the collector for the providing necessary documents required for notification of above land as Protected Forest. The copy of demarcation panchnama and letter are enclosed as **Annexure-04**.

**Conclusion:-**

1. Excavation of soil in such quantity as mentioned by applicant was not observed at khasra number 176, Village Piparpani, Tehsil Bankhedi, District Narmadapuram.
2. No cutting of trees has been seen at the site.


**Recommendations:**

1. The revenue land of Khasra number 176, area 14.770 hectares of Village Piparpani, Tehsil Bankhedi, District Narmadapuram should be notified as Protected Forest as per provisions of Indian Forest Act, 1927 as soon as possible.
2. Gram Panchayat shall not initiate any construction/excavation activity at this site till the notification of the said khasra number.


 (Divesh Markam) District Mining Office, Narmadapuram, (M.P.)	 (Abhay Saraf) Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Mandideep	 (Mayank Gurjar) Divisional Forest Officer, Narmadapuram, (M.P.)
---	--	--

Photograph of the visit on 29.03.2024





Google



Google





**Google map of the site**



स्थल पंचनामा

दिनांक 3/04/2024  
 स्थान - ग्राम पीपलपानी

हम निचे लिखे हस्ताक्षर कता यह निगामी देवे वाले  
 पंचनामा इस बात की सही सही तय्यारी करते हैं कि राज  
 दिनांक 03/04/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित कृषि मिशन  
 लेय के प्रकरण क्र 0431/2004 में पारित मोदेश दिनांक  
 22/02/2024 के अनुपालन में जीवित समिति के सदस्यों  
 द्वारा स्थल ग्राम स. न. 176 रकबा 14.370 हेक्टर प्रति  
 ग्राम पीपलपानी जो कि वन भू में है का स्थल  
 निरीक्षण आलेख कता श्री बृजरा यादव, वन विभाग,  
 राजनंद विभाग, स्वयंज विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण  
 बोर्ड प्रोपाल श्री कल के साथ अच्छी तरह से इधर-  
 उधर घूम के गोंग नुमाना किया गया। पौके  
 पर 02 गड्ढे नैचुरल टोपोग्राफी के अनुरूप पार  
 गरा तथा 1 नाली (ड्रेंच) जिसका माप 39मी x 01मी x  
 3-10 मी पाई गई जिसकी खुदाई 02 वर्ष पूर्व की जाती होती  
 है।

पंचनामा पर शुना सही पाका हस्ताक्षर कता

*(Signature)*  
 MO Mandla  
 Abhay Sarda  
 (R.O. MPCC,  
 Mandla)

*(Signature)*  
 महेन्द्र कुमार

*(Signature)*  
 Roshankhadi

*(Signature)*  
 02/04/24  
 210101  
 3-5558705

शिवनाथपोंकेवा  
 ग्राम पीपलपानी  
 बृजरा यादव  
 (शिकायत कता)  
 निरीक्षक

*(Signature)*  
 21/04/24  
 पीपलपानी

*(Signature)*  
 03/04/24  
 141.3  
 पंचनामा मेरे पर  
 निरीक्षण कता

महेन्द्र कुमार



## कार्यालय जनपद पंचायत बनखेड़ी, जिला-नर्मदापुरम् म0प्र0

Email-jpbanhoshmp@nic.in

क्रमांक / 1456 / मनरेगा / ज.पं. / 2022

बनखेड़ी, दिनांक 08/04/2022

// प्रशासकीय स्वीकृति आदेश //

प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र 3361 भोपाल दिनांक 29/3/2022 द्वारा अमृत सरोवर निर्माण के निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स 1995 भाग-2 में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3/1/2003/नियम/चार दिनांक 31/01/2006, म0प्र0शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रं./7244/वि-10/ग्रायासे/2016 भोपाल दिनांक 09.12.2016 एवं अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र 5654/मनरेगा-एम.पी/एनआर 3/2020 भोपाल दिनांक 18/12/2020 प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र." के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग नर्मदापुरम् द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नानुसार "अमृत सरोवर कार्य" की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए "संबंधित ग्राम पंचायत" को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जाता है। इस कार्य पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

क्र.	कार्य का नाम	योजना मद का नाम	विकासखण्ड					तकनीकी स्वीकृति क्र.	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	राशि (लाख रु. में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि का विवरण (लाख में)				सूचित होने वाले मानव दिवस
			जनपद का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	एसओ पी नम्बर	पट्टा सी हल्का न. एवं खसरा I न.				श्रम पर होने वाला व्यय	सागरी पर होने वाला व्यय	कुशल/अर्ध कुशल	कुल	
1	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम पिपरपानी (श्री लाल के खेत के पास)	मनरेगा	बनखेड़ी	पीपरपानी	पीपरपानी	1	186 (s)	33	07-04-22	13.26	6.64	6.62	0	13.26	3255
2	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम बघराज	मनरेगा	बनखेड़ी	बिठुआ	बघराज	1	78	34	07-04-22	13.40	6.72	6.68	0	13.40	3294
3	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम कोठरी	मनरेगा	बनखेड़ी	कोठरी	कोठरी	2	105	35	07-04-22	13.77	7.02	6.75	0	13.77	3441
4	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम मैदाखेडा	मनरेगा	बनखेड़ी	मैदाखेडा	मैदाखेडा	38	101 (s)	36	07-04-22	13.77	7.02	6.75	0	13.77	3441
5	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम बघेडी	मनरेगा	बनखेड़ी	बाचावानी	बघेडी	1	36/4 2/2	37	07-04-22	13.26	6.64	6.62	0	13.26	3255
6	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम बहरावन	मनरेगा	बनखेड़ी	परासवाडा नांदना	बहरावन	1	181	38	07-04-22	13.40	6.72	6.68	0	13.40	3294
7	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम उमरधा	मनरेगा	बनखेड़ी	उमरधा	उमरधा	1	1156 /1 (1)	39	07-04-22	13.77	7.02	6.75	0	13.77	3441
8	अमृत सरोवर निर्माण कार्य ग्राम पिपरपानी (शांति धाम के पास)	मनरेगा	बनखेड़ी	पीपरपानी	पीपरपानी	2	176	40	07-04-22	13.77	7.02	6.75	0	13.77	3441

1/ स्वीकृत निर्माण कार्य में "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप ग्रामीण जॉबकार्डधारी परिवार के व्यक्तियों को रोजगार की मांग करने पर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

- 2/ कार्य स्थल पर क्रियान्वयन एजेन्सी मजदूरों को पीने का पानी, फर्स्ट एड किट, छाया की व्यवस्था, छः वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चों पर झूला घर छः वर्ष से कम उम्र के पांच से अधिक बच्चे हो तो पृथक से एक महिला को बच्चों की देख-रेख हेतु नियुक्त किया जाए। इस महिला को मनरेगा के अन्तर्गत अकुशल श्रमिक श्रमिक के रूप में पारिश्रमिक देय होगा।
- 3/ अकुशल, कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों और सामग्री पर किये जाने वाले व्यय का अनुपात इस प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में उल्लेखित अनुसार रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4/ निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जाएगा कार्य के विपरीत पाये जाने पर उसका संपूर्ण दायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। ऐसी दशा में प्रकरण के गुणदोष के आधार पर संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 5/ वन भूमि में बगैर वन विभाग की अनुमति के कोई कार्य नहीं कराया जाएगा।
- 6/ कार्य स्थल पर मस्टर रोल रखना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम अधिकारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर मस्टररोल जारी करेगे तथा निरीक्षण के समय योजनान्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चाहे जाने पर अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7/ योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर मस्टर रोल संबंधित जनपद के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे। मस्टररोल जारी कराये बगैर कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा।
- 8/ कार्य से संबंधित मस्टररोल की छायाप्रतियाँ संबंधित ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को क्रियान्वयन एजेन्सी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 9/ संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को कार्य प्रारंभ करने की सूचना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा दी जाएगी।
- 10/ कार्य का पूर्णता एवं मूल्यांकन प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूपों पर स्थल के फोटोग्राफ सहित विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1688 दिनांक 02-07-2007 के अनुसार संधारित नस्ती में रखा जायेगा।
- 11/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अभिलेखों का संधारण विभाग द्वारा जारी लेखा, लेखापरीक्षा एवं मॉनिटरिंग मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। जिसमें Exit Protocol भी शामिल है।
- 12/ कार्य पर लगने वाली सामग्री आदि के क्रय करने में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मण्डार तथा सेवा उपापन निर्देशिका में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13/ कार्य को स्वीकृत लागत की सीमा में ही पूर्ण किया जाये। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जायेगी।
- 14/ कार्य की गुणवत्ता निर्धारित स्तर की होना चाहिये। गुणवत्ता की सम्पूर्ण जवाबदारी क्रियान्वयन एजेन्सी की रहेगी। एजेन्सी कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत के अनुमोदित शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल होने के उपरान्त ही कार्य प्रारंभ किया जाये।
- 15/ स्वीकृत कार्य पर शत प्रतिशत जॉबकार्डधारी परिवार के वयस्क सदस्य को ही लगाया जाये। बाल श्रमिक अथवा बिना जॉबकार्डधारी श्रमिकों को कार्य पर किसी भी स्थिति में कार्य पर नहीं लगाया जाये। कार्यरत श्रमिकों को प्रचलित मजदूरी दर के मान से मजदूरी का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के खातों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।
- 16/ कार्य स्थल पर मस्टर रोल, मापपुस्तिका, निरीक्षण पुस्तिका तथा श्रमिकों द्वारा कार्य का मांग पत्र अनिवार्य रूप से रखा जाये
- 17/ कार्यस्थल पर एक बोर्ड लगाया जाये जिस पर कार्य का नाम, कुल लागत, प्रचलित मजदूरी की दर, कार्यरत श्रमिकों की संख्या आदि की जानकारी अंकित की जाये तथा कार्य की लागत में निधी का उल्लेख किया जाये।

- 18/ कार्य स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के संपूर्ण उपाय किये जाये।
- 19/ क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम स्तर पर कार्य का प्रचार-प्रसार करते हुए ग्राम पंचायत हेतु निर्धारित रोजगार दिवस पर ले-आउट देगी जिससे अकुशल श्रम के इच्छुक जॉबकार्डधारी मजदूरों को आसानी से कार्य उपलब्ध हो सके।
- 20/ छः दिवस पश्चात ई-मस्टर संधारित कर "रोजगार सप्ताह" में मूल्यांकन पश्चात मजदूरी भुगतान हेतु "वेजस्लीप" सामग्री एवं सेवा कार्य हेतु भुगतान पर्ची जारी करें।
- 21/ कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से "राशि अंतरण आदेश"(FTO) के द्वारा समय-सीमा में मजदूरी सामग्री एवं सेवा कार्य पर भुगतान संबंधी बैंक खाते के माध्यम से करें।
- 22/ कार्य से संबंधित ई-मस्टर रोल की छायाप्रतियां संबंधित ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कार्य का मूल्यांकन कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा/ग्रायासे द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जायेगा।
- 23/ स्वीकृत कार्य में ठेकेदार/बिचौलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- 24/ कार्य का क्रियान्वयन मनरेगा के प्रावधानों का पालन करते हुए मस्टर रोल पद्धति से कराया जायेगा। कार्य हेतु ऐसी मशीनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा जिसे मजदूरों द्वारा किया जाये।
- 25/ स्वीकृत कार्य पूर्ण होने तक कार्य संबंधी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी की होगी व कार्य पूर्ण होने के उपरांत उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी।
- 26/ निर्माण कार्य का प्राक्कलन/डिजाईन व स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा कार्य की लागत बढ़ जाने व किसी तरह का विवाद होने पर न्यायालयीन प्रकरण बन जाने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी की ही जिम्मेदारी होगी।
- 27/ मजदूरों को शासन द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी न दी जाये।
- 28/ कार्यस्थल पर एक रोजगार रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें सृजित मानव दिवस, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का उल्लेख किया जायेगा।
- 29/ कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा।
- 30/ क्रियान्वयन एजेन्सी अपने कार्यों का पूर्ण लेखा-जोखा पृथक से संधारित करेगी।
- 31/ कार्य पर लगे श्रमिकों का साप्ताहिक श्रमिक प्रतिवेदन कार्यालय जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से भेजा जाये।
- 32/ यदि उक्त कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हुआ हो तो कार्य प्रारंभ न करें, एवं इस कार्यालय को सूचित करें।
- 33/ स्वीकृत कार्य अतिरिक्त परिसम्पत्ति (एक्स्ट्रा अस्सेस्ट) के रूप में निर्मित होकर पृथक अतिरिक्त परिसम्पत्ति पंजी (एक्स्ट्रा अस्सेस्ट रजिस्टर) में इनकी प्रविष्टि की जायेगी।
- 34/ मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना के मेन्युअल तथा म0गा0नरेगा एक्ट में समाहित निर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये।
- 35/ क्रियान्वयन एजेन्सी कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि- स्वीकृत कार्य पूर्व में अन्य किसी योजना से स्वीकृत अथवा पूर्ण नहीं हुआ है।
- 36/ कार्य पूर्ण होने के उपरांत कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं कार्य के फोटोग्राफ्स सहित इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करे।

37/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये की परफामेन्स ग्रांट/जनपद निधी की राशि प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करे।

38/कार्य स्थल का Latitude and longitude लेना अनिवार्य है। साथ ही तीन चरण में नियमानुसार जियोटेग करना सुनिश्चित करे।

39/ मजदुरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जायें।

पृ.क्र./ 1457 /मनरेगा/ज.पं./2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र पिपरिया जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत बनखेड़ी जिला नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर महोदय जिला नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. सहायक यंत्री जनपद पंचायत बनखेड़ी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
8. उपयंत्री जनपद पंचायत बनखेड़ी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
9. प्रधान/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत ~~बनखेड़ी~~ जनपद पंचायत बनखेड़ी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत बनखेड़ी  
बनखेड़ी, दिनांक 08/04/2022

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत बनखेड़ी

## याचिका मूल आवेदन क्रमांक / 31 / 2024 से संबंधित संक्षेपिका

श्री बृजेश यादव निवासी ग्राम पीपरपानी विरुद्ध म0प्र0 शासन व अन्य

- 1-नर्मदापुरम जिला अंतर्गत बनखेड़ी तहसील के ग्राम पीपरपानी के खसरा क्रमांक 176 रकवा 14.770 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग के प्रकरण क्रमांक / 89 / बी / 121-191-92 दिनांक 20.01.1992 से क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी। किन्तु उक्त राजस्व भूमि वर्तमान समय तक भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 में अधिसूचित नहीं है।
- 2-ग्राम पंचायत पीपरपानी की ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर शासन की अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 40 दिनांक 07.04.2022 एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1458 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा जारी की गई है। जिसके बाद उक्त खसरे पर तालाब निर्माण हेतु खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। किन्तु मामला संज्ञान में आने पर वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी द्वारा दिनांक 30.04.2022 को वन अमले को मौका स्थल पर भेजकर अमृत सरोवर योजना अंतर्गत बन रहे तालाब निर्माण कार्य को बन्द कराया गया जिसका मौका पंचनामा दिनांक 30.04.2022 तैयार किया गया।
- 3-श्री बृजेश यादव द्वारा दिनांक 13.05.2022 को वन परिक्षेत्र कार्यालय बनखेड़ी तथा दिनांक 27.05.2022 को वनमंडल कार्यालय सामान्य होशंगाबाद को लिखित में शिकायत की थी जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी द्वारा पत्र क्रमांक 767 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से ग्राम पीपरपानी में बन रहे तालाब निर्माण पर रोक लगाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनखेड़ी को भी लेख किया गया था जिसके तारतम्य में उक्त तालाब निर्माण कार्य जनपद पंचायत द्वारा बन्द कर दिया गया था जो आज दिनांक तक बंद है।
- 4-दिनांक 20.03.2023 को उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य द्वारा शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव एवं परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी की उपस्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा बताये स्थल (खसरा क्रमांक 176) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर ट्रेंच खुदी पायी गई जिसका आकार 39mx1mx2.10m था तथा देखकर प्रतीत हो रहा था कि खुदाई पुरानी थी एवं तत्समय कार्य बन्द था। खुदाई से प्राप्त मिट्टी मौके पर डली हुई है।

5—श्री बृजेश यादव द्वारा दिनांक 22.11.2022 को श्रीमान मुख्य, वन संरक्षक को लिखित में शिकायत की गई जिसे वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम द्वारा उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य को जांच हेतु पत्र क्रमांक/स्टेनो/13025 दिनांक 01.12.2023 से प्रेषित किया। जिसकी जांच कर उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को जांच प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम को प्रेषित किया गया।

6—इसके बाद शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण भोपाल बेंच के समक्ष याचिका मूल आवेदन क्रमांक 31/2024 से लगाई गई।

7—उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण भोपाल बेंच के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 03.04.2024 को मौका स्थल खसरा नंबर 176 रकबा 14.770 हेक्टेयर भूमि ग्राम पीपरपानी का आवेदनकर्ता श्री बृजेश यादव, वन विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के सदस्यों के द्वारा अच्छी तरह से मौका स्थल पर चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर दो गड्ढे नैचुरल टोपोग्राफी के अनुरूप पाये गये तथा एक नाली (ट्रेंच) जिसका माप 39mx01mx2.10m पायी गयी जिसकी खुदाई 02 वर्ष पूर्व की प्रतीत होती है पाया गया। जिसका मौका पंचनामा दिनांक 03.04.2023 तैयार किया गया।

दिनांक 03.04.2024 को उक्त दल द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान खोदी गई आकृति ट्रेंचनुमा पायी गई एवं कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि 30,000cmt मुसम का अवैध उत्खनन किया गया।

प्रारूप  
श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी  
द्वारा अनुमोदित

*Devt*  
उप वनमंडलाधिकारी  
सोहागपुर सामान्य



# कार्यालय उप वनमंडलाधिकारी (सामान्य) सोहागपुर म०प्र०

Mob. No. - 9424792045, E-Mail - sdoFTsohagpur@mp.gov.in

क्रमांक / .....28415.....

सोहागपुर, दिनांक / 01 / 12 / 2023

प्रति ,

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल सामान्य नर्मदापुरम

विषय :- रेंज ऑफिसर द्वारा वन संपदा को नष्ट कराने बावत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / स्टेनो / 13025 दिनांक 01.12.2022 एवं 7263 दिनांक 03.07.2023, 10475 दिनांक 03.10.2023

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से प्राप्त शिकायत की जांच मेरे द्वारा की जाकर जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है :-

शिकायत का संक्षिप्त विवरण :- शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव निवासी पीपरपानी तहसील बनखेड़ी द्वारा शिकायत की गई है कि बनखेड़ी परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पीपरपानी में श्री सुशील शुक्ला द्वारा लगभग 02 वर्ष से वनभूमि पर मुरम का उत्खनन किया जा रहा है एवं वनभूमि में बिना विभाग की अनुमति के तालाब निर्माण किया जा रहा है। इसकी सूचना दिनांक 13.05.2022 को रेंज ऑफिसर बनखेड़ी को दी गई किन्तु रेंज ऑफिसर द्वारा आरोपी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जांच कार्यवाही - उक्त शिकायत के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी से वस्तुस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन चाहा गया। परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी द्वारा इस कार्यालय के माध्यम से वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम को पत्र क्रमांक 766 दिनांक 19.05.2022 से लेख किया है कि उपरोक्त क्षेत्र बीट नक्शे के अनुसार वनभूमि नहीं है परंतु वन परिक्षेत्र में उपलब्ध अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम पीपरपानी के कुछ राजस्व खसरे वन विभाग को हस्तांतरित होने है किन्तु उक्त अभिलेखों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन-कौनसे खसरे वन विभाग को हस्तांतरित होने हैं। इस संबंध में उचित मार्ग दर्शन चाहा गया है। जो उप वनमंडल कार्यालय के पत्र क्रमांक 1094 दिनांक 23.05.2022 से वनमंडल कार्यालय सामान्य नर्मदापुरम मार्ग दर्शन हेतु भेजा गया था।

साथ ही परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी सामान्य द्वारा पूर्व में सूचना मिलने पर दिनांक 30.04.2022 को परिक्षेत्र सहायक बनखेड़ी श्री विष्णु प्रसाद पुजारी को वन अमले के साथ मौका स्थल पर भेजकर शिकायत के संबंध में जांच करायी गई। वन अमला ग्राम पीपरपानी के खसरा क्रमांक 176 जो सुखतवा क्षतिपूर्ति वनीकरण के नाम दर्ज है उक्त मौका स्थल पर ग्राम पंचायत द्वारा तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा था जिसे जांच होने तक बन्द करने हेतु निर्देशित किया गया जो आज दिनांक तक बन्द है।

शिकायत की जांच हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2661, 1663 दिनांक 10.12.2022 से शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव ग्राम पीपरपानी, शिकायत से संबंधित सरपंच श्री सुशील शुक्ला ग्राम पीपरपानी एवं पूजा गुप्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बनखेड़ी एवं श्री प्रियंक रघुवंशी सचिव ग्राम पंचायत पीपरपानी को उप वनमंडल कार्यालय सोहागपुर में कथन लिपिबद्ध कराने हेतु बुलाया गया एवं बयान लिपिबद्ध किये गए जो निम्नानुसार है

**1-बयान श्री सुशील शुक्ला वल्द देवी प्रसाद शुक्ला सरपंच ग्राम पंचायत पीपरपानी-** मैं दिनांक 04.08.2022 से ग्राम पंचायत पीपरपानी का सरपंच हूं। शिकायतकर्ता बृजेश कुमार यादव पिता गुरदयाल यादव निवासी पीपरपानी एक आदतन शिकायती व्यक्ति है मेरा वर्ष 2010 से बृजेश यादव से राजनैतिक विवाद चल रहा है। पूर्व में वर्ष 2010 से दिनांक 04.08.2022 तक मेरी पत्नि ग्राम पीपरपानी की सरपंच रही है। शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार है मेरी पत्नि के कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार ग्राम में अमृत सरोवर तालाब के निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत हुआ था जिस पर कार्य प्रारंभ करने की तैयारी चल रही थी इसी दौरान श्री बृजेश यादव द्वारा वन विभाग को सूचित कर स्थल पर बुलवाया गया था वन विभाग द्वारा मना करने पर हमारे द्वारा उस भूमि पर कोई कार्य नहीं किया गया है। हमारे द्वारा कोई अवैध उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है। जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत स्तर पर उक्त कार्य करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार जारी है। बस यही मेरा बयान है जो पूर्ण होशों हवास में दिया गया है।

**2-बयान श्री प्रियंक रघुवंशी वल्द महेन्द्र सिंह रघुवंशी सचिव ग्राम पंचायत पीपरपानी-** मैं ग्राम रहटवाड़ा का निवासी हूं। मैं ग्राम पंचायत पीपरपानी में वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ हूं। ग्राम सभा पीपरपानी द्वारा अमृत सरोवर तालाब निर्माण हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके अनुसार जिला पंचायत नर्मदापुरम एवं जनपद पंचायत बनखेड़ी द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर उक्त कार्य कराने हेतु आदेश प्राप्त हुए थे कार्य स्थल पर कार्य को प्रारंभ किया जाना था किन्तु शिकायतकर्ता बृजेश कुमार यादव निवासी ग्राम पीपरपानी द्वारा वन विभाग को सूचित करने पर उक्त कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। वन विभाग द्वारा मना करने पर कोई कार्य नहीं किया गया न ही स्थल से कोई अवैध उत्खनन किया गया है। शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार एवं असत्य है। बस यही मेरा कथन है जो पूर्ण होशों हवास में दिया गया है।

**3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बनखेड़ी का प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2022-** मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनखेड़ी द्वारा पत्र क्रमांक 4788 दिनांक 15.12.2022 से लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा लेख किया है कि ग्राम पंचायत पीपरपानी की ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर शासन की अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 40 दिनांक 07.04.2022 एवं

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1456 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा जारी की गई। जिसमें वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी ने पत्र क्रमांक 767 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत पीपरपानी में हो रहे अमृत सरोवर योजना के तालाब पर रोक लगाने हेतु लेख किया गया था। जिसके तारतम्य में उक्त कार्य पर निराकरण होने तक रोक लगाई जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2067 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम से मार्गदर्शन चाहा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया था जो कार्य आज दिनांक तक बन्द है। अतः की गई शिकायत निराधार है।

**4-बयान शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव वल्द गुरुदयाल यादव निवासी ग्राम पीपरपानी तहसील बनखेड़ी** ने दिनांक 16.12.2022 को समक्ष में उपस्थित होकर अपने बयान में बताया कि यह शिकायत मैंने वन संरक्षक महोदय को की है। ग्राम पीपरपानी में श्री सुशील शुक्ला, ग्राम पंचायत सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पूजा गुप्ता सब इंजिनियर शीला पगारे एवं पंचायत सचिव प्रियंक रघुवंशी द्वारा वन भूमि खसरा नंबर 176 पर अमृत सरोवर का निर्माण किया है बिना वन विभाग की अनुमति लिये। इसके अलावा 200 से 300 ट्राली के मुरम का भी अवैध उत्खनन किया गया है जिसकी शिकायत की मेरे द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी को दिनांक 13.05.2022 को की गई उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद मेरे द्वारा वनमंडलाधिकारी महोदय नर्मदापुरम को दिनांक 27.05.2022 को शिकायत की गई। उस पर पंचायत द्वारा कार्य तो रोक दिया गया परंतु आरोपियों पर वन अपराध में मामला दर्ज नहीं किया गया। इसकी शिकायत मैंने वन संरक्षक महोदय को की है। जिसके उपलक्ष्य में आज उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर द्वारा कथन देने के लिये बुलाया था जिसमें मैं अपने कथन दे रहा हूँ।

जांच के दौरान उपलब्ध कराये गए दस्तावेज,

परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी को की गई शिकायत की प्रति,

वनमंडलाधिकारी महोदय नर्मदापुरम को की गई शिकायत की प्रति,

मजदूरों द्वारा किये गए कार्य के मस्टरोल की प्रति।

जांच के दौरान मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया जावे एवं वन भूमि पर उत्खनन कार्य करने वाले मजदूरों को सूचना पत्र देकर उप वनमंडलाधिकारी महोदय के कार्यालय में बयान लिये जावे। बस यही मेरा बयान है।

**5-मौका स्थल पंचनामा दिनांक 20.03.2023-** दिनांक 20.03.2023 को उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य, वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी सामान्य एवं वन अमला तथा शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव निवासी पीपरपानी को साथ लेकर उनके द्वारा बताये गए वनक्षेत्र में पहुंचे एवं अवैध उत्खनन की जांच की गई। मौके पर शिकायतकर्ता बृजेश यादव द्वारा ट्रेंचनुमा आकर की खुदाई दिखाई गई एवं बताया गया कि यह अवैध उत्खनन है जिसकी मौके पर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई एवं उनके द्वारा बतायी गई खुदाई का नाप किया गया तथा लिखा गया। शिकायतकर्ता द्वारा

उक्त स्थल को खसरा नंबर 176 बताया एवं उनके द्वारा उक्त स्थल को वन विभाग के स्वामित्व का बताया गया। ट्रेंच/खुदाई का माप 39 मीटर X 1 मीटर X 2.10 मीटर एवं जीपीएस रीडिंग N-22.75 E-78.59 पायी गई।

**6-वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 28.11.2023-** कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2566 दिनांक 03.11.2023 एवं 2679 दिनांक 28.11.2023 से प्रकरण में वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी से प्रतिवेदन चाहा गया उनके द्वारा पत्र क्रमांक 1490 दिनांक 28.11.2023 प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें लेख है कि शिकायतकर्ता श्री ब्रजेश यादव निवासी ग्राम पीपरपानी द्वारा ग्राम पीपरपानी अंतर्गत खसरा क्रमांक 176 में अवैध उत्खनन संबंधी शिकायत की गई थी। शिकायकर्ता द्वारा घटना दिनांक 30.04.2022 को भी सूचना प्रदान की थी जिसके संबंध में घटना दिनांक को ही मौके पर स्टाफ को भेजकर मौका स्थल की जांच कराई गई जिससे पाया गया कि उक्त दिनांक को तालाब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित लोगों से उक्त कार्य के संबंध में दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक/1456/मनरेव/वन.पं. /2022 दि. 08.04.2022 प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा मौका स्थल पर बताया गया कि उक्त भूमि वन विभाग की है। तद् संबंध में तालाब निर्माण कार्य करने आये व्यक्तियों को समझाईश दी गई कि उक्त भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कार्य प्रारंभ करें जिसके बाद उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया। उक्त भूमि के संबंध में इस कार्यालय में स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण भूमि से संबंधित अभिलेखों एवं मार्ग दर्शन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/766 दि. 19.05.2022 से वनमंडल कार्यालय को लेख किया गया। तद्संबंध में वन मंडल कार्यालय नर्मदापुरम सा. के पत्र क्रमांक/मा.चि./7781 दि. 06.07.2022 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित होना है किन्तु राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि की हस्तांतरण की कार्यवाही प्रचलन में है एवं उक्त भूमि पर तालाब निर्माण का कार्य बंद कराने हेतु वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुये जो कि पूर्व में दिनांक 30.04.2022 को ही बंद करा दिया गया था। परिक्षेत्र स्तर से भी तहसील कार्यालय बनखेड़ी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/10 दि. 22.07.2022, 1478 दि. 20.10.2022, 45 दि. 08.01.2023 एवं कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी, सोहागपुर सा. के पत्र क्रमांक/1217 दि. 16.05.2023 से उक्त भूमि (खसरा नं. 176 ग्राम पीपरपानी) की भूमि के सीमांकन हेतु लेख किया गया किन्तु आज दिनांक तक सीमांकन की कार्यवाही न की जाने के कारण उक्त भूमि को वन विभाग के कब्जे में नहीं लिया जा सका है। प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही प्रचलन में है।

निष्कर्ष :-

- 1-ग्राम पीपरपानी खसरा क्रमांक 176 रकवा 14.770 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग के प्रकरण क्रमांक/89/बी/121-91-92 दिनांक 20.01.1992 से वन विभाग को हस्तांतरित की गई है।
- 2-आदेश हस्तांतरण एवं भूमि का नामांतरण आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त राजस्व भूमि को संरक्षित वन घोषित नहीं किया जा सका है।
- 3-ग्राम पंचायत पीपरपानी की ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर शासन की अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 40 दिनांक 07.04.2022 एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1456 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा जारी की गई।
- 4-दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा शिकायतकर्ता व वन परिक्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में शिकायतकर्ता के बताए स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर ट्रेंच खुदी हुई पाई गई जिसका आकार 39 मीटर x 1 मीटर x 2.10 मीटर था। जिससे स्पष्ट होता है कि अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ तो किया गया था परंतु परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी के दखल के बाद तुरंत बंद कर दिया गया जो आज दिनांक तक बंद ही है।

शिकायतकर्ता का यह कथन जांच में स्थापित नहीं हुआ कि परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी द्वारा ग्राम पीपरपानी में वनभूमि पर अपनी सहमति से अवैध उत्खनन कराकर मुरम निकलवाई जा रही है। परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए अमृत सरोवर निर्माण कार्य को रूकवा दिया गया जो आज दिनांक तक बन्द है तथा वरिष्ठ कार्यालय को भी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 17.05.2023 से लेख किया गया है। खसरा क्रमांक 176 ग्राम पीपरपानी रकवा 14.770 हेक्टेयर को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं होने के कारण परिक्षेत्राधिकारी द्वारा इस पर भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं है।

अतः जांच कार्यवाही के दौरान उक्त शिकायत निराधार पाई गई जिसे नस्तीबध्द करने की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :-

1- बयान 03 मूलतः।

2-मुख्य कार्य पालन अधिकारी का पत्र क्रमांक 4788 दिनांक 15.12.22 मूलतः।

3-पंचनामा दिनांक 20.03.2023 मूलतः।

4-प.अ. बनखेड़ी का प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1490 दिनांक 28.11.2023 मूलतः।

5-प.अ. बनखेड़ी का प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 766 दिनांक 19.05.2022 मूलतः।

  
21/12/2023  
(श्रीमती रचना शर्मा)  
संयुक्त वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)

बयान

स्थान-उ.व.मं. कार्या. सोहागपुर  
दिनांक / 16.12.2022

मैं सुशील शुक्ला आ0 देवी प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम पीपरपानी तहसील बनखेड़ी श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य के पत्र क्रमांक/2663 दिनांक 10.12.2022 के परिपालन में आज दिनांक 16.12.2022 को उप वनमंडल कार्यालय में उपस्थित हुआ। मुझे श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी महोदय द्वारा एक शिकायत पत्र दिखाया गया जिसे मेरे द्वारा पढ़ा गया जिसके संबंध में मैं सच-सच बयान देता हूँ कि-

मैं दिनांक 04.08.2022 से ग्राम पंचायत पीपरपानी का सरपंच हूँ। शिकायतकर्ता बृजेश कुमार यादव पिता गुरदयाल यादव निवासी पीपरपानी एक आदतन शिकायती व्यक्ति है मेरा वर्ष 2010 से बृजेश यादव से राजनैतिक विवाद चल रहा है। पूर्व में वर्ष 2010 से दिनांक 04.08.2022 तक मेरी पत्नि ग्राम पीपरपानी की सरपंच रही है। शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार है मेरी पत्नि के कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार ग्राम में अमृत सरोवर तालाब के निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत हुआ था जिस पर कार्य प्रारंभ करने की तैयारी चल रही थी इसी दौरान श्री बृजेश यादव द्वारा वन विभाग को सूचित कर स्थल पर बुलवाया गया था वन विभाग द्वारा मना करने पर हमारे द्वारा उस भूमि पर कोई कार्य नहीं किया गया है। हमारे द्वारा कोई अवैध उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है। जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत स्तर पर उक्त कार्य करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार जारी है।

बस यही मेरा बयान है जो पूर्ण होशों हवास में दिया गया है।

बयान मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकण किए गए

भरत सिंह खेमा कम्प्यूटर आपरेटर

बयानकर्ता के हस्ताक्षर

सुशील शुक्ला आ0 देवी प्रसाद शुक्ला  
सरपंच ग्राम पंचायत पीपरपानी

ग्राम पंचायत: पीपरपानी  
वि.ख. बनखेड़ी. जि. नर्मदापुरम् म.प्र.

बयान मेरे समक्ष लिपिबद्ध किए गए

उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य

बयान

स्थान-उ.व.मं. कार्या. सोहागपुर  
दिनांक / 16.12.2022

मैं प्रियंक रघुवंशी आओ महेन्द्र सिंह रघुवंशी निवासी ग्राम रहटवाड़ा तहसील बनखेड़ी श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य के पत्र क्रमांक/2663 दिनांक 10.12.2022 के परिपालन में आज दिनांक 16.12.2022 को उप वनमंडल कार्यालय में उपस्थित हुआ। मुझे श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी महोदय द्वारा एक शिकायत पत्र दिखाया गया जिसे मेरे द्वारा पढ़ा गया जिसके संबंध में मैं सच-सच बयान देता हूँ कि-

मैं ग्राम रहटवाड़ा का निवासी हूँ। मैं ग्राम पंचायत पीपरपानी में वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। ग्राम सभा पीपरपानी द्वारा अमृत सरोवर तालाब निर्माण हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके अनुसार जिला पंचायत नर्मदापुरम एवं जनपद पंचायत बनखेड़ी द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर उक्त कार्य कराने हेतु आदेश प्राप्त हुए थे कार्य स्थल पर कार्य को प्रारंभ किया जाना था किन्तु शिकायतकर्ता बृजेश कुमार यादव निवासी ग्राम पीपरपानी द्वारा वन विभाग को सूचित करने पर उक्त कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। वन विभाग द्वारा मना करने पर कोई कार्य नहीं किया गया न ही स्थल से कोई अवैध उत्खनन किया गया है। शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार एवं असत्य है।

बस यही मेरा कथन है जो पूर्ण होशों हवास में दिया गया है।

बयान मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकण किए गए

भरत सिंह खेमा कम्प्यूटर आपरेटर

बयान मेरे समक्ष लिपिबद्ध किए गए

उप वनमंडलाधिकारी सोहागपुर सामान्य

बयानकर्ता के हस्ताक्षर

प्रियंक रघुवंशी आओ महेन्द्र सिंह रघुवंशी  
सचिव ग्राम पंचायत पीपरपानी

सचिव  
ग्राम पंचायत-पीपरपानी  
ज.प. बनखेड़ी  
जिला- नर्मदापुरम म.प्र.



आप के दौरान मैंके पर आकर अपना निरीक्षण  
 किया जावे एवं वग बुकिंग सुधारण कर करने वाली  
 माफ़री के सूचना पर देकर 3000 से 800 महीने के कार्यालय  
 में लेकर बयान लिए जावे।

बस ही मेरा बयान है।

बयान कर्ता के हस्ताक्षर

शुभेश/प/द/8

16/12/2022

9223809948

बयान कर्ता के हस्ताक्षर  
 लिखित बयान

बयान कर्ता के हस्ताक्षर  
 लिखित बयान

शुभ-  
 स्वयंसेवा  
 लिखित

शुभ-  
 स्वयंसेवा  
 लिखित

कार्यालय जनपद पंचायत बनखेड़ी, जिला-नर्मदापुरम् म0प्र0  
Email-jpbanhosmp@nic.in

क्रमांक / 4788 / मनरेगा / ज.पं. / 2022

बनखेड़ी, दिनांक 15/12/2022

प्रति,

उप वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर ( सामान्य)

विषय:- वनभूमि पर रेंज ऑफिसर की मिली भगत से अवैध उत्खनन कराए जाने बावत्।  
संदर्भ:- कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) सोहागपुर का पत्र क्रमांक 2663  
सोहागपुर दिनांक 10/12/2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि ग्राम पंचायत पीपरपानी की ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर शासन की अमृत सरोवर योजनांतर्गत अमृत सरोवर तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 40 दिनांक 07/04/2022 एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1456 दिनांक 08/04/2022 के द्वारा जारी की गई थी। कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी बनखेड़ी (सामान्य) के पत्र क्रमांक 767 बनखेड़ी दिनांक 19/05/2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत पीपरपानी में अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य पर रोक लगाने हेतु लेख किया गया था। जिसके तारतम्य में उक्त कार्य पर निराकरण होने तक रोक लगाई जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2067 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम् से मार्गदर्शन चाहा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य बंद कर दिया गया था जोकि आज दिनांक तक उक्त कार्य बंद है। उक्त कार्य स्थल से ग्राम पंचायत द्वारा कोई अवैध उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार है।

16/12/2022

पृ.क्र. / 4789 / मनरेगा / ज.पं. / 2022  
प्रतिलिपि :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत बनखेड़ी  
बनखेड़ी, दिनांक 15/12/2022

1. कलेक्टर महोदय जिला नर्मदापुरम् की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम् की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग नर्मदापुरम् की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत बनखेड़ी

Seen  
L

१) मौका पंचनामा

७) समय - 05/00 pm

दिनांक - 20/03/23

GPS - lat - 22.75

long - 78.59

दम पंचनामा इस बात की सच-सच तस्वीर करके  
 है कि आज दिनांक की उपवनमण्डल अधिकारी  
 सोहागपुर (सा), वन परिक्षेत्र अधिकारी वनखेड़ा (सा)  
 एवं शिकायतकर्ता वृजेश यादव निवासी पीपरपानी के  
 दमराह इस्कर शिकायतकर्ता वृजेश यादव द्वारा  
 बताया गया वनक्षेत्र में पट्टे एवं अवैध उखनन  
 की जांच कि। मौके पर शिकायतकर्ता वृजेश यादव  
 द्वारा ट्रेचनुमा आकार की खुदाई दिखाई गई एवं  
 बताया गया कि यह अवैध उखनन है जिसके  
 मौके पर GPS लिए गए एवं उनके द्वारा बतौर  
 गई खुदाई का नाप किया गया एवं लिखा गया।  
 शिकायतकर्ता द्वारा उक्त स्थल की खसरा नं 176  
 बताया एवं उनके द्वारा उक्त स्थल को वनविभाग  
 के स्वामित्व का बताया।

ट्रेच/खुदाई का  
 नाप  
 = 39m x 1m  
 x 2.10m

पंचनामा पक्कर सुनाया गया जा  
 समय वक्त पर काम आया।

पंचनामा  
 दस्तावेज

1) वी के सोनी अधिकारी

2) Staruh Patel  
 सहायक वर.

पंचनामा मेरे  
 समक्ष बनाया  
 गया।

(Signature)  
 वृजेश यादव

पंचनामा मेरे

द्वारा बनाया गया

(Signature)  
Ro Bankhedi  
 20/03/23



कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमंडल होशंगाबाद मध्यप्रदेश

Phone No. (07574-254178, 254808) E-Mail dfohbad@mpforest.org

होशंगाबाद दिनांक 4/01/2012

क्रमांक / मा0चि0 / 119

प्रति

परिक्षेत्र अधिकारी  
सामान्य वनखोडी

विषय - क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रायः राजस्व भूमि को संरक्षित वन घोषित करने बाबत।

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 14181 दिनांक 6.12.2011

--00--

विषयान्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण कार्य हेतु ग्राम बिजनहाई, पीपरपानी एवं पडरई ठाकुर की प्रायः राजस्व भूमि पर वनीकरण कार्य क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमण्डल होशंगाबाद द्वारा कराया जा चुका है। उक्त ग्रामों की गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित किया जाने हेतु पुनः अधिसूचना प्रारूप ग्राम का मानचित्र संलग्न है।

अतः उक्त ग्रामों में वनभूमि को नैज पर जाकर स्थल निरीक्षण कर वर्तमान में उक्त भूमि पर अवैध संरचना तथा अवैध आतिथ्य आदि अंगरक्षक वं साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में अधिसूचना प्रारूप तैयार कर आदेशानुसार इस कार्यालय में प्रेषित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(एल0 कृष्णमूर्ति)  
वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल होशंगाबाद

पृ. क्रमांक / मा0चि0 /

प्रतिलिपि :- 1-उप वनमण्डल अधिकारी सामान्य विपरिया वी ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ

अग्रपिपित

उपरोक्तानुसार


होशंगाबाद दिनांक /01/2012

सचिव

वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल होशंगाबाद

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a date '5-1-12' and some illegible text.

Handwritten notes and signatures in the bottom center, including a date '5-1-12' and some illegible text.



प्रति,

श्रीमान पत्रपरिक्षित अधिकारी महोदय  
कनखेड़ी (समान्य)

विषय :- ग्राम पंचायत पीपरपानी में नालाख निर्माण का कौशल  
दखल का ज्ञान प्रतिवेदन.

महोदय जी;

निवेदन है कि मैंने इस ग्राम पीपरपानी में  
ग्राम पंचायत पीपरपानी में अखिल लखेवर कर्म के अन्तर्गत  
नालाख निर्माण कराया जा रहा था। जिसमें श्री हजेश यादव  
श्री शिखर (इरमाव) के तामन्य में दखलिन करण कर  
ग्राम पंचायत का आवेदन भय दखलवेजो के श्रीमान व. म. अ.  
नरदापुरम के नाम का एवं प्राणी व पंचनामा जोट केम की  
फैरो आपकी डोर आपसक कर्म काही हेतु दाख  
प्रस्तुत है।

दिनांक -  
21/5/22.

  
पं. न. दा. प. न. दा.

पंचनामा

खास - ग्राम जीपरपाली  
दिनांक - 30/4/22

हम नीचे लिखे पंचनामा तय्यीक करते हैं कि ग्रामि दिनांक - 30/4/22 को श्री विष्णु पुनार पुजारी वरमाक पद करेकी बि एकराह अथ झापु की उपस्थिति मे ग्राम जीपरपाली के अन्तर्गत क्र. 176 जो सुरगना शनिपुरी तनीशरण वरमाल कोशिकावार के नाम से हैं। उक्त जोका स्थल पर अथुत आरोना शोभना के तहत ग्राम फेसन करा तालाक मिश्रा का काम किया जा रहा था जिकेवा जोच केने तह क्रम अथानि न किया गया है।

कोके का पंचनामा लिखा पहा पदक।  
सुजाग। नरु अगुदा / पत्ताशा किह।

पंचनामा

पंचनामा केरे करा लिखि व है  
दिनांक 30/4/22

श्री विष्णु पुजारी  
वरमाक

1. लोकेश मिश्रा (दिनांक)
2. मोहन बाइराम (दिनांक)
3. श्री गीतेश शुक्ला (दिनांक)
4. दिशमाला ठाकुर (दिनांक)
5. सुरेश शुक्ला (दिनांक)
6. निनेश राय (दिनांक)
7. चन्द्रशाल (दिनांक)

कि  
विष्णु पुजारी वरमाक  
पद करेकी



# कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी बनखेड़ी (सामान्य)

दूरभाष : 9424792062  
क्रमांक / 1490

ई-मेल: RotBankhedi@mp.gov.in  
बनखेड़ी, दिनांक 28/11/2023

प्रति,

श्रीमान,

संयुक्त वनमण्डलाधिकारी महोदय  
सोहागपुर (सामान्य)

विषय :- वनभूमि पर रेंज आफिसर की मिली भगत से अवैध उत्खनन कराए जाने बावत्।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / 2566 दिनांक 03.11.2023  
.....000.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री ब्रजेश यादव निवासी ग्राम पीपरपानी द्वारा ग्राम पीपरपानी अंतर्गत खसरा क्रमांक 176 में अवैध उत्खनन संबंधी शिकायत की गई थी। उक्त संबंध में निवेदन है कि शिकायतकर्ता ने घटना दिनांक 30.04.2022 को भी सूचना प्रदान की थी जिसके संबंध में घटना दिनांक को ही मौके पर स्टाफ को भेजकर मौका स्थल की जांच कराई गई जिसमें पाया गया कि उक्त दिनांक को तालाब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित लोगों से उक्त कार्य के संबंध में दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक / 1456 / मनरेगा / ज.पं. / 2022 दि. 08.04.2022 प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा मौका स्थल पर बताया गया कि उक्त भूमि वन विभाग की है। तद् संबंध में तालाब निर्माण कार्य करने आये व्यक्तियों को समझाईश दी गई कि उक्त भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कार्य प्रारंभ करें जिसके बाद उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया। उक्त भूमि के संबंध में इस कार्यालय में स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण भूमि से संबंधित अभिलेखों एवं मार्ग दर्शन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 766 दि. 19.05.2022 से वनमंडल कार्यालय को लेख किया गया। तद् संबंध में वन मंडल कार्यालय नर्मदापुरम सा. के पत्र क्रमांक / मा.वि. / 7781 दि. 06.07.2022 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित होना है किन्तु राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि की हस्तांतरण की कार्यवाही प्रचलन में है एवं उक्त भूमि पर तालाब निर्माण का कार्य बंद कराने हेतु वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुये जो कि पूर्व में दिनांक 30.04.2022 को ही बंद करा दिया गया था। परिक्षेत्र स्तर से भी तहसील कार्यालय बनखेड़ी को इस कार्यालय के पत्र 1071 दि. 22.07.2022, 1478 दि. 20.10.2022, 45 दि. 08.01.2023 एवं कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी, सोहागपुर सा. के पत्र क्रमांक / 1217 दि. 16.05.2023 से उक्त भूमि (खसरा नं. 176 ग्राम पीपरपानी) की भूमि के सीमांकन हेतु लेख किया गया किन्तु आज दिनांक तक सीमांकन की कार्यवाही न की जाने के कारण उक्त भूमि को वन विभाग के कब्जे में नहीं लिया जा सका है। प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रतिवेदन श्रीमान की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रतिलिपि :-  
पृ०क्र० /

1. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय नर्मदापुरम सा. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

(राजुल कटारे)  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
बनखेड़ी (सामान्य)

बनखेड़ी, दिनांक - / / 2023

(राजुल कटारे)  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
बनखेड़ी सामान्य



कार्यालय उप वनमंडलाधिकारी (सामान्य) सोहागपुर म०  
Mob. No. - 9424792045, E-Mail - sdofTsohagpur@mp.gov.in

क्रमांक / .....1225

सोहागपुर, दिनांक / 17/05/2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी  
वनमंडल सामान्य नर्मदापुरम  
विषय :- वनभूमि पर रेंज ऑफिसर की मिली भगत से अवैध उत्खनन कराने का  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्टेनो/13025 दिनांक 01.12.2022।

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संबंधित पत्र से प्राप्त शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव आ० गुरुदयाल यादव निवासी ग्राम पीपरपानी की जांच कार्यालय में चलित है। जांच कार्यवाही के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वन पत्र क्रमांक 4788 दिनांक 15.12.2022 प्रस्तुत किया है जिसमें लेख है कि शारदा की अनाथ योजना अंतर्गत तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 40 दिनांक 08.04.2022 प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1456 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा जारी की गई थी। परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी ने पत्र क्रमांक 767 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत को सूचित हो रहे अमृत सरोवर योजना के तालाब पर रोक लगा दी जो कार्य आज दिनांक तक कार्य स्थल पर ग्राम पंचायत पीपरपानी द्वारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है। (पत्र को छाया संलग्न है)

मेरे द्वारा दिनांक 20.03.2023 को उक्त स्थल पर परिक्षेत्राधिकारी वनमंडल स्टॉफ के साथ शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव को साथ में रखकर मौका स्थल पर पहुंचने के शिकायतकर्ता बृजेश यादव द्वारा ट्रैचनुमा आकर की खुदाई दिखाई गई एवं बताया गया कि उत्खनन है जिसकी मौके पर जी०पी०एस० रीडिंग ली गई एवं खुदाई का नक्शा शिकायतकर्ता द्वारा उक्त स्थल को खसरा नंबर 176 बताया एवं उनके द्वारा रकबा स्थल का स्वामित्व बताया। (पंचनामा दिनांक 20.03.2023 की छायाप्रति)

अतः यदि उक्त भूमि को कलेक्टर महोदय द्वारा वन विभाग को अस्वाभाविक है तो कृपया अवगत कराने की कृपा करें क्योंकि इस कार्यालय में उक्त शिकायतकर्ता ही उक्त भूमि क्या वनभूमि के रूप में अधिसूचित हो गई है। यदि ग्राम जातिराज की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप वनमंडलाधिकारी

उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)

सोहागपुर, दिनांक / 17.05.2023

पठिकाकन क्रमांक / - 1226

प्रतिलिपि :- श्री बृजेश यादव निवासी ग्राम पीपरपानी परिक्षेत्राधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ अग्रेषित।

उप वनमंडलाधिकारी

उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)

0124792045  
0124792045  
1715



कार्यालय उप वनमंडलाधिकारी (सामान्य) सोहागपुर म०प्र०  
Mob. No. - 9424792045, E-Mail - sdoFTsohagpur@mp.gov.in

सोहागपुर, दिनांक / 16/05/2023

क्रमांक / .....1217.....

प्रति ,


तहसीलदार  
बनखेड़ी

विषय :- वनभूमि पर रेंज ऑफिसर की मिली भगत से अवैध उत्खनन कराए जाने बावत।  
संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम का पत्र क्रमांक/स्टेनो/13025 दिनांक  
01.12.2022।

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से प्राप्त शिकायत, शिकायतकर्ता श्री बृजेश यादव आ० गुरुदयाल यादव निवासी ग्राम पीपरपानी की जांच इस कार्यालय में चलित है। जांच कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया कि भूमि खसरा नंबर 176 है एवं उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है। शिकायत के निराकरण हेतु शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए स्थल का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

अतः आप तिथि निर्धारित कर अवगत कराने का कष्ट करें ताकि मैं मौके पर संयुक्त निरीक्षण हेतु पहुंच सकू।


  
(श्रीमती रचना शर्मा)  
उप वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)

पृष्ठांकन क्रमांक / 1218  
प्रतिलिपि :-

सोहागपुर, दिनांक / 16/5/2023

1-वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि तहसीलदार बनखेड़ी से संपर्क कर संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि प्राप्त करें एवं शिकायतकर्ता को अवगत करावे ताकि वह भी मौके पर उपस्थित हो सके।

2-श्री बृजेश यादव निवासी ग्राम पीपरपानी तहसील बनखेड़ी की ओर द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ अग्रेषित। परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी द्वारा संयुक्त निरीक्षण तिथि प्राप्त होने पर आप मौके पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
(श्रीमती रचना शर्मा)  
उप वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)



कार्यालय उप वनमंडलाधिकारी (सामान्य) सोहागपुर म०प्र०

Mob. No. - 9424792045, E-Mail - sdoFTsohagpur@mp.gov.in

क्रमांक / ... 2661  
प्रति

सोहागपुर, दिनांक / 10 / 12 / 2022

श्री वृजेश यादव आ० गुरुदयाल यादव  
निवासी ग्राम पीपरपानी  
तहसील बनखेडी जिला-नर्मदापुरम

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेडी सामान्य  
विषय :- वनभूमि पर रेंज ऑफिसर की गिली भगत से अवैध उत्खनन कराए जाने  
बाबत।  
संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी नर्मदापुरम का पत्र क्रमांक/स्टेनो/13025 दिनांक  
01.12.2022।

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से प्राप्त शिकायत वन भूमि पर रेंज ऑफिसर की गिली भगत से अवैध उत्खनन कराकर मुरम निकलवाई जा रही है आपके द्वारा की गई है जिसकी जांच मेरे द्वारा की जाना है।

अतः आप दिनांक 16/12/2022 को समय प्रातः 11 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने कथन लिपिबद्ध करावे।

L11  
(श्रीमती रचना शर्मा)  
उप वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)

पृष्ठांकन क्रमांक / 2662  
प्रतिलिपि :-

वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेडी सामान्य की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि संदर्भित को पत्र की एक प्रति हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर सदिनांक पावती अभिरवीकृति प्राप्त कर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें साथ ही उक्त दिनांक को आप भी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे।

L11  
(श्रीमती रचना शर्मा)  
उप वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)



कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) सोहागपुर म०प्र०

Mob. No. - 9424792045, E-Mail - sdoFTsohagpur@mp.gov.in

क्रमांक / 2663  
प्रति

सोहागपुर, दिनांक / 10 / 12 / 2022

- 1-श्री सुशील शुक्ला ग्राम पीपरपानी
- 2-पूजा गुप्ता जनगद पंचायत बनखेड़ी
- 3-पंचायत सचिव ग्राम पीपरपानी  
तहसील बनखेड़ी जिला-नर्मदापुरम

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी सामान्य  
विषय :- वनभूमि पर रेंज ऑफिसर की मिली भगत से अवैध उत्खनन कराए जाने  
बाबत।  
संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी नर्मदापुरम का पत्र क्रमांक/स्टेनो/13025 दिनांक  
01.12.2022।

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संबन्धित पत्र से प्राप्त शिकायत श्री बृजेश यादव आ० गुरुदयाल यादव निवासी ग्राम पीपरपानी द्वारा की गई है जिसमें लेख है कि आपके द्वारा वन भूमि पर रेंज ऑफिसर की मिली भगत से अवैध उत्खनन कराकर मुरम निकलवाई जा रही है। उक्त शिकायत की जांच मेरे द्वारा की जाना है।

अतः आप दिनांक 16/12/2022 को समय प्रातः 11 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने कथन लिपिबद्ध करावे।

L

(श्रीमती रचना शर्मा)  
उप वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)

पृष्ठांकन क्रमांक / 2664  
प्रतिलिपि :-

वन परिक्षेत्राधिकारी बनखेड़ी सामान्य की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधिता को पत्र की एक प्रति हरतागत कराकर दूसरी प्रति पर सदिनांक पावती अभिलेखीकृति प्राप्त कर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करे साथ ही उक्त दिनांक को आप भी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे।

L

(श्रीमती रचना शर्मा)  
उप वनमंडलाधिकारी  
उप वनमंडल सोहागपुर (सामान्य)

६

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश

Phone No. (07574-254178, 254808)

E-Mail -dfot.hbd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.वि./7796

नर्मदापुरम, दिनांक 6/07/2022

प्रति,

कलेक्टर,  
(भू- अभिलेख शाखा)  
नर्मदापुरम

विषय :- होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा रोपित 42.977 हेक्टे. क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करना।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.वि./7744 दिनांक 07.07.2005।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में - राजस्व ग्राम पडरई ठाकुर खसरा नं. 331 रकबा 12.000 हेक्टे., पीपरपानी खसरा नं. 176 रकबा 14.770 हेक्टे. एवं बीजनहाई खसरा नं. 167 रकबा 16.207 हेक्टे. क्रमशः राजस्व विभाग के द्वारा पकरण क्रमांक/88 बी/121-91-92 दिनांक 20.01.1992, 89 बी/121-91-92 दिनांक 20.01.1992 एवं 90 बी/121-91-92 दिनांक 20.01.1992 से वन विभाग को हस्तांतरित की गई है किन्तु राजस्व विभाग ने उक्त भूमि के हस्तान्तरण आदेश एवं भूमि नामान्तरण की कार्यवाही वन विभाग को नहीं की है।

उपरोक्त राजस्व ग्रामों की भूमि पर वनमंडलाधिकारी इच्छावर क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमंडल द्वारा वर्ष 1991 में वृक्षारोपण किया गया है। आदेश हस्तांतरण एवं भूमि का नामान्तरण आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उक्त राजस्व ग्रामों की भूमि को संरक्षित वन घोषित नहीं किया जा सका है। हस्तांतरण आदेश एवं भूमि का नामान्तरण अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005 में लेख किया जा चुका है। अतः पुनः अनुरोध है कि हस्तांतरण आदेश एवं भूमि का नामान्तरण अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पत्र की छायाप्रति।

(डी.के. बोरानिक)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

कार्यालय वनसंरक्षक नर्मदापुरम वनवृत्त नर्मदापुरम (म.प्र.)

☎ (07574) 252521 ☎ (07574) 252303 EMail-ccf.hbd@mp.gov.in

क्रमांक/स्टेनो/2022/ 6919  
प्रति,

नर्मदापुरम, दिनांक 22/11/2022

वनमंडलाधिकारी  
सामान्य वनमंडल  
नर्मदापुरम (म.प्र.)

विषय :- वन भूमि पर रेंज आफिसर की मिली भगत से अवैध उत्खनन कराये जाने बाबत।  
संदर्भ :- श्री ब्रजेश यादव आ. गुरुदयाल यादव, निवासी पीपरपानी तहसील-बनखेडी, जिला नर्मदापुरम का आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2022

--000--

उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त शिकायत में परिक्षेत्र अधिकारी बनखेडी द्वारा ग्राम पीपरपानी में वन भूमि पर अवैध उत्खनन कराकर मुरम निकालवाई जा रही है। साथ ही ग्राम सरपंच, पंचायत सचिव एवं बनखेडी जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के वन भूमि पर तालाब निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत की जांच कराकर शिकायत का तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन 07 दिवस के अंदर आपके स्पष्ट अभिमत सहित तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एस.के.एस.तिवारी)

वनसंरक्षक

(वनवृत्त नर्मदापुरम (म0प्र0))

19367  
11/12/22  
दस्तावेज स्ट्रेनो - 13025

दिनांक 11/12/2022

उपरोक्तानुसार (सा.) सोहागपुर की ओर  
कादम की दायरगी सहित सूचनाएं अग्रेषित। विषयगत विवाद  
की जांच करें, साथ प्रतिवेदन 07 दिवस के अंदर आपके स्पष्ट  
अभिमत सहित तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित  
करें।

E:\Steno\Sect.File 2018-2020(24-9-20)\Complaint Reaminder 2020\comp. reminder 2022.doc वनमंडलाधिकारी सामान्य

संलग्न - 302/कागु

नर्मदापुरम (म.प्र.)

11/12

## कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी बनखेड़ी (सामान्य)

दूरभाष : 9424792062

ई-मेल: RotBankhedi@mp.gov.in

क्रमांक / 446

बनखेड़ी, दिनांक 3/04/2024

प्रति,

तहसीलदार महोदय,  
बनखेड़ी

- विषय - ग्राम पंचायत पीपरपानी जनपद पंचायत बनखेड़ी में "अमृत सरोवर" योजना अन्तर्गत तालाव निर्माण कार्य की शिकायत के संबंध में।
- संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/1071 दि. 20.10.2022, 45 दि. 08.01.2023 एवं NGT का पत्र क्रमांक NGT-C/B/2024/78 Bhopal, Date. 27-02-2024

.....000.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में अनुरोध है, कि वन परिक्षेत्र बनखेड़ी सामान्य अंतर्गत राजस्व ग्राम पीपरपानी में अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाव निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत पीपरपानी जनपद पंचायत बनखेड़ी जिला नर्मदापुरम द्वारा उक्त भूमि खसरा नं. 176 रकबा 14.770 हे० पर प्रशासकीय रवीकृति आदेश क्रमांक/1456/मनरेगा/ज.प./2022 दि. 08.04.2022 के अनुसार कराया जा रहा था।

उक्त प्रकरण (Original Application No. 31/2024(CZ) में शासन का पक्ष रखने हेतु दि. 22.04.2024 के पूर्व प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि राजस्व ग्राम पीपरपानी के खसरा नं. 176 रकबा 14.770 हेक्टेयर का 03 दिवस के अंदर संयुक्त रूप से वन विभाग की उपस्थिति में सीमांकन कराकर जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समयावधि में प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
बनखेड़ी (सामान्य)

पृष्ठांकन क्रमांक / 447  
प्रतिलिपी :-

बनखेड़ी दिनांक 3/04/2024

1. श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय नर्मदापुरम सा. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. श्रीमान उपवनमंडलाधिकारी महोदय सोहागपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।



03/4

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
बनखेड़ी (सामान्य)

# कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी बनखेड़ी (सामान्य)

दूरगाथ : 9424792062

ई-मेल: RotBankhedi@mp.gov.in

क्रमांक/ 479

बनखेड़ी, दिनांक 13/04/2024

प्रति,

श्रीमान,

तहसीलदार महोदय,  
बनखेड़ी

विषय - ग्राम पंचायत पीपरपानी जनपद पंचायत बनखेड़ी में "अमृत सरोवर" योजना अन्तर्गत तालाव निर्माण कार्य की शिकायत के संबंध में।  
संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/1071 दि. 20.10.2022, 45 दि. 08.01.2023 एवं NGT का पत्र क्रमांक NGT-C/B/2024/78 Bhopal, Date. 27-02-2024

.....000.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में अनुरोध है, कि वन परिक्षेत्र बनखेड़ी सामान्य अंतर्गत राजस्व ग्राम पीपरपानी में अमृत सरोवर' योजना अंतर्गत तालाव निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत पीपरपानी जनपद पंचायत बनखेड़ी जिला नर्मदापुरम द्वारा उक्त भूमि खसरा नं. 176 रकबा 14.770 हे0 पर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/1456/मनरेगा/ज.पं./2022 दि. 08.04.2022 के अनुसार कराया जा रहा था।


उक्त प्रकरण (Original Application No. 31/2024(CZ) में शासन का पक्ष रखने हेतु दिनांक 22.04.2024 के पूर्व प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। राजस्व अमले द्वारा दिनांक 12.04.2024 को मौका स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया किन्तु EPS मशीन न होने के कारण सीमांकन कार्य नहीं हो पाया था। अतः आपसे अनुरोध है कि राजस्व ग्राम पीपरपानी के खसरा नं. 176 रकबा 14.770 हेक्टेयर का 03 दिवस के अंदर संयुक्त रूप से वन विभाग की उपस्थिति में सीमांकन कराकर जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समयवधि में प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
बनखेड़ी (सामान्य)

पृष्ठांकन क्रमांक/ 480  
प्रतिलिपी :-

बनखेड़ी दिनांक 13/04/2024

1. श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय नर्मदापुरम सा. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. श्रीमान उपवनमंडलाधिकारी महोदय सोहागपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।



वन परिक्षेत्र अधिकारी  
बनखेड़ी (सामान्य)

चुचननामा

मौजा-पीपरपानी  
दिनांक 18/04/2024

हम उपस्थित दस्तावेधकर्ता निवासी ग्राम  
पीपरपानी प. ह. नं. 53 के आज दिनांक 18/04/2024  
को यह तस्दीक करते हैं कि श्री मान तहसीलदार  
महोदय बनारसी के आदेश क्र. 249/सी। तह. बनारसी।  
2024-25 दि. 04/04/2024 के यालन में मौजा पीपरपानी  
की भूमि ख. नं. 176 रकबा 14.770 हेक्टे भूमि का  
जो कि वन विभाग मद में दर्ज है, का विधिवत वन  
विभाग व पड़ोसी कार्तव्यकारों को सूचना उपरांत  
दब्बा पीपरपानी व प. ह. नं. 55 तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी  
बनारसी की उपस्थिति में उक्त भूमि का पीपरपानी के  
आरा हेम मोनाईल से सीमांकन कर निशान कायम  
किये गये व चुण्डियां लगावा डी गड्डा रकबा 0.200 हेक्टे  
पर देवीसिंह पट्ट श्रीलाल द्वारा मुंग फसल नोकर व  
रकबा 0.200 हेक्टे पर रघुवीर वनर मोतीलाल नागावंशी  
द्वारा मुंग फसल नोकर अतिक्रमण पाया गया है।  
उक्त भूमि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा सौंप दी  
गई है।

चुचननामा मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष  
लिखा गया व पढ़कर सुनया गया बाद में दस्ता. बिये।

<u>अ. क. मोनोईल</u> माम	<u>दा. पट्ट</u> पट्ट	<u>देवीसिंह</u> देवीसिंह
<u>कामत</u>	<u>देवीप्रसाद</u> देवीप्रसाद	<u>मोतीलाल</u> मोतीलाल
<u>शिवनाथ देसा</u> शिवनाथ देसा	<u>रामकृष्ण</u> रामकृष्ण	

पंचनामा

पंचनामा - 18/04/2024

एत नीचे हस्ताक्षर करने वाले पंचगण समवात ही तस्वीर करते हैं। इस आज्ञा पत्रांश 18/04/2024 को - प. ह. न. 533 रजमरा क्र. 136 रजवा 14.770 है। सा सीमांकन करने पर जो वन सीमांकन नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर रघुवीर कक्क मोतीलाल नागवंशी द्वारा 0.20 हे. रजवा तथा देवी सिंह कक्क मोतीलाल द्वारा 0.20 हे. रजवा पर वन भूमि में शीतलमण पामा जमा भिन्नसे उक्त दोनों भिन्नानों से शीतलमण हटाने को इला जमा भिन्नसे दोनों भिन्नानों द्वारा मृग ही फसल देने के इच्छा शमभिलषा बताते हुए मृग ही फसल देने के बाद शीतलमण हटाने की सहमति व्यक्त कर उक्त भूमि वन भूमि में है - मुपुर्दे कर ही आरणी भिन्न ही सहमति दोनों भिन्नानों द्वारा ली गई। भिन्न सा भी सा पंचनामा बनाया गया।

मौदा पंचनामा तैलरवा, पहा व पहाड मुनामा जमा व वाक हस्ताक्षर करा गए।

पंच हस्ताक्षर -

- ① अधिका की के शोबी PCW-25
- ② 4338
- ③ देवीसमरा (मुन्नु)
- ④ गोकुल सिंह
- ⑤ रघुवीर

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

Signature

वकील सिंह परिदार व.र.

**VAKALATNAMA**  
 [Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]  
**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**O.A. No. 31/2024**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**IN THE MATTER OF:**

**BRIJESH YADAV**

**...APPLICANT**

**Versus**

**STATE OF MP & ORS**

**....RESPONDENTS**

I/We/Appellant/Claimant/Petitioner or Defendant/Respondent/Non-Applicant named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **19<sup>th</sup> April 2024**.

**PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA**

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
<b>Abhay Saraf, Regional Officer, MPPCB Regional Office Mandideep.</b>	Plot No. 28, Sector-c, New Industrial Arera Mandideep, Raisen	romppcbmandideep@gmail.com 07480-292564	Officer-in-Charge	 <b>REGIONAL OFFICER M.P. Pollution Control Board MANDIDEEP</b>

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwwivedi20@gmail.com	8878471359	